RERA APPROVED

Booklet No: 31066





पंजीकरण पुस्तिका



लखनऊ विकास प्राधिकरण

विकास का आधार, विकास का वास्तुकार



पंजीकरण:

पंजीकरण की अवधि: 4.4.2025 से 3.5.2025 तक

पंजीकरण हेतु पात्रता:

आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। अप्रवासी भारतीय आवेदन कर सकते है।

आवेदक या उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पित/पत्नी तथा अवयस्क बच्चे से हैं) के पास लखनऊ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इम्प्र्वमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कॉलोनियों में कोई अपना भूखंड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर व शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों में एक से अधिक भूखंड/भवन नहीं होना चाहिए।



Registration

Registration Period: 4.4.2025 to 3.5.2025

Eligibility for Registration

Applicant must be over 18 years of age.

Applicant should be a citizen of India. NRIs can apply.

Applicant or any member of his family should not have any residential building/plot in Lucknow & not more than one residential building/plot in U.P. allotted by LDA/UPHB/any other government department.

3. भूखण्डों का मूल्य एवं पंजीकरण: धनराशि

| भूखण्ड श्रेणी / संख्या | क्षेत्रफल (वर्गमीटर) | आवंटन दर (प्रति वर्ग मीटर) | अनुमानित मूल्य | पंजीकरण धनराशि ५% (लाख रुपये में) | अवशेष भुगतान |
|---------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|
| ਦ/19 | 450 | 41150 | 18517500 | 925875 | 17591625 |
| बी/105 | 288 | 41150 | 11851200 | 592560 | 11258640 |
| सी/50 | 200 | 41150 | 8230000 | 411500 | 7818500 |
| डी/39 | 162 | 41150 | 6666300 | 333315 | 6332985 |
| ई/121 | 112.5 | 41150 | 4629375 | 231468.75 | 4397906.25 |

Booklet No: 31066

नोट: १. उपरोक्त दरों में १२% की दर से फ्री-होल्ड शुल्क अतिरिक्ति, देय होगा।

२. भूखंडों की संख्या अनुमानित है एवं घट-बढ़ सकती है।

3. उपलब्ध भूखण्ड योजना के आदर्श खण्ड में स्थित है।



3. Price of plots and registration: Amount

| Category of Plot/No. of Plots | Area (Sqmt) | Allotment Rate (per square meter) | Tentative Cost | Registration Amount (5% of Cost) | Balance |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|
| A/19 | 450 | 41150 | 18517500 | 925875 | 17591625 |
| B/105 | 288 | 41150 | 11851200 | 592560 | 11258640 |
| C/50 | 200 | 41150 | 8230000 | 411500 | 7818500 |
| D/39 | 162 | 41150 | 6666300 | 333315 | 6332985 |
| E/121 | 112.5 | 41150 | 4629375 | 231468.75 | 4397906.25 |

Booklet No. 31066

Note:

Free-hold charge at the rate of 12% will be payable in addition to the above rates.

The number of plots is estimated and may increase or decrease.

The available plots are located in the Adarsh Khand Sector of the scheme.





4. छूट:

ऑनलाइन आवंटन पत्र डिजिटली हस्ताक्षर होने की तिथि से 60 दिन के अन्दर अवशेष सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करने पर ७५ प्रतिशत धनराशि (फ्री होन्ड धनराशि को छोड़ कर) पर ५ प्रतिशत की छूट होगी। आवेदक द्वारा शेष धनराशि जमा करते समय यह छूट अपने स्तर से नहीं घटाई जानी चाहिए। छूट की धनराशि को अन्तिम गणना के समय देय अन्य मदों में समायोजित किया जायेगा।

5. आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा में: यदि आवंटी या आवेदक की मृत्यु हो जाती है, तो उसको पंजीकरण धनराशि अथवा आवंटित भूखण्ड उसके उत्तराधिकारी को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर, नामान्तरित कर दिया जायेगा।





(प्रतीकात्मक)



4. Discount:

If the remaining total amount is paid within 60 days from the date of digital signing of the online allotment letter, a 5% discount will be applicable on 75% of the amount (excluding the freehold amount). The applicant should not deduct this discount on their own while depositing the remaining amount. The discounted amount will be adjusted under other payable heads at the time of the final calculation.

5. In case of the applicant's death:

If the allottee or applicant passes away, the registered amount or the allotted plot will be transferred to their legal heir upon the submission of the required documents.





(Symbolic)

6. आरक्षण: Booklet No: 31066

30प्रO सरकार के आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश के अनुसार विभिन्न वर्गों को आरक्षण अनुमन्य होगा जो वर्तमान में निम्नवत् है:-

| क्र०सं० | वर्ग | प्रतिशत |
|---------|---|----------------|
| 1 | अनुसूचित जाति | 21 |
| 2 | अनुसूचित जनजाति | 02 |
| 3 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 27 |
| 4 | विधायक / सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी | 05 |
| 5 | सरकारी सेवको तथा सुरक्षा सेवाओं के सेवारत कर्मचारी जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। | 05 |
| 6 | विकास प्राधिकरण / उ०प्र० आवास विकास परिषद, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकाय, आवास बन्धु कार्यालय एवं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कर्मचारी | 02 |
| 7 | भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित | 03 |
| 8 | वरिष्ठ नागरिक (६० वर्ष से ऊपर) | १०% हॉरिजॉन्टल |
| 9 | दिव्यांग जन | ५% हॉरिजॉन्टल |



24M wide road section

(प्रतीकात्मक)

6. Reservation: Booklet No: 31066

According to the government order related to reservation of Uttar Pradesh, reservation will be permissible to different classes, which is presently as follows:

| S. No. | Category | Percentage |
|--------|--|----------------|
| 1 | Scheduled Caste | 21 |
| 2 | Scheduled Tribes | 02 |
| 3 | Other Backward Classes | 27 |
| 4 | MLA/MLC/MP and freedom fighter and their dependent | 05 |
| 5 | Serving government employees and security personnel who have completed 50 years of age. | 05 |
| 6 | Staff of Development Authority / Uttar Pradesh Housing Development Council, Jal Sans than, Municipal Corporation and Local Body, Housing Brothers office and Town and Country Planning Department. | 02 |
| 7 | Ex-servicemen and their dependents | 03 |
| 8 | Senior Citizen | 10% Horizontal |
| 9 | Persons with disabilities (PwD) | 5% Horizontal |



24M wide road section

(Symbolic)

Booklet No: 31066

- 7. अपरिहार्य परिस्थियों में भूखण्डों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है, तथा भूखण्डों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
- 8. भूखंड आवंटित होने के उपरांत विवादित होने की दशा में अन्य भूखंड नहीं दिया जाएगा एवं ऐसी स्थिति में आवेदक की जमा धनराशि पर भारतीय स्टेट बैंक के MCLR दर से साधारण ब्याज देकर वापस कर दी जाएगी।

९. आवंटन:

- 1. भूखण्डों का आवंटन लॉटरी द्वारा आवेदकों के समक्ष किया जायेगा जिसकी सूचना पृथक से समाचार पत्रों में एवं प्राधिकरण की वेबसाइट पर दी जाएगी।
- 2. लॉटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- 3. लॉटरी की तिथि से 15 कार्य दिवस के पश्चात् डिजिटली साइंड आवंटन पत्र प्राधिकरण की वेबसाइट http://www.ldaonline.co.in से डाउनलोड किये जा सकेंगे। पृथक से कोई आवंटन पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।



45M wide road section

Booklet No: 31066

7. In unavoidable circumstances, the number of plots may be altered, and the number of plots may increase or decrease.

8. In case the allotted plot becomes disputed after allocation, no other plot will be provided. In such a situation, the amount deposited by the applicant will be refunded with simple interest at the MCLR rate of the State Bank of India.

9. Allocation

- 1. The plot allocation will be done through a lottery in the presence of applicants, and its information will be provided through newspapers and the authority's website.
- 2. The lottery results will be publicly displayed on the authority's notice board and the Lucknow Development Authority's website.
- 3. The digitally signed allotment letter can be downloaded from the authority's website http://www.ldaonline.co.in after 15 working days from the date of the lottery. No separate allotment letter will be issued.



45M wide road section (Symbolic)



30M wide road section

(प्रतीकात्मक)

10. पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी:

लॉटरी के पश्चात असफल आवेदकों की पंजीकरण धनराशि लाटरी तिथि से तीन माह में वापस किये जाने की स्थिति में कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल आवेदकों की पंजीकरण धनराशि तीन माह से अधिक समय के पश्चात वापस किये जाने की स्थिति में जमा की गई पंजीकरण धनराशि पर ४ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज देय होगा।

यदि कोई आवेदक आवंटन हो जाने के पश्चात आवंटित भूखण्ड को निरस्त कराकर धनराशि वापस लेना चाहता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत एवं देय जी0एस0टी० काटकर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी|

यदि आवंटी द्वारा तीन किश्तें लगातार जमा नहीं की जाएंगी तो बिना किसी सूचना के आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा एवं उपरोक्त बिंदु (2) के अनुसार कटौती कर बिना ब्याज धनराशि वापस कर दी जाएगी।

११. तथ्यों का छिपाना:

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई गई है तो उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि आवंटन / निबन्धन/अनुबन्ध निरस्त कर दें तथा आवेदक द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि को जब्त कर ने तथा अन्य कोई कानूनी कार्यवाही जो प्राधिकरण उचित समझे, कर सकता है।

१२. फ्री-होल्ड शुल्क:

प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड का निबन्धन फ्री-होल्ड भूमि के रूप में किया जायेगा। भूमि मूल्य (पार्क + कॉर्नर + 18 मीटर चौड़ी सड़क या अधिक को, यदि हो, सम्मिलित करके) का 12% की दर से फ्री-होल्ड शुल्क निबंधन के पूर्व देय होगा, जो भूखण्ड के मूल्य में सम्मिलित नहीं है।





30M wide road section

(Symbolic)

10. Cancellation of registration and withdrawal of deposit amount:

After lottery , if the registration amount of unsuccessful applicants is refunded within three months of the date of lottery , no interest will be payable. However, if the refund is made after more than three months, interest will be paid at a simple annual rate of 4% on the deposited amount.

If an applicant wishes to cancel the allotted plot and request to refund after allotment, 20% of the registration amount along with the applicable GST will be deducted, and the remaining amount will be refunded without any interest.

If the allottee fails to deposit three consecutive installments, the allotment will be cancelled without any notice. The amount will be refunded without interest after deductions as per point (2).

11. Hiding Facts

If any details provided by the applicant are found to be false or if any important information has been concealed, the Vice Chairman of the Lucknow Development Authority shall have the right to cancel the allotment, registration, or agreement and confiscate the entire registration amount deposited by the allottee. Additionally, any other legal proceedings deemed appropriate by the Authority may also be initiated.

12. Free-hold charges

The allotted plot will be registered as freehold land by the authority. 12% of the land value (including park, corner, and 18-meter or wider roads, if applicable) must be paid as a freehold charge before registration, which is not included in the plot price.



18M wide road section (Symbolic)



१३. भूखण्ड का कब्जा:

आवंटन तिथि के पश्चात्, भूखण्ड का मूल्य व अन्य मूल्यों का भुगतान करने के पश्चात् निबंधन कर आवेदक को भूखण्ड का कब्जा रेरा द्वारा निर्धारित अवधि के अनुरुप दिया जाएगा।

निबन्धन / अनुबन्ध इत्यादि में आने वाला समस्त व्यय आवेदक द्वारा वहन किया जायेगा।

15. कर/शुल्क आदि की देयता:

आवंटित भूखण्ड के सम्बन्ध में भारत सरकार / उ०प्र० सरकार, नगर निगम अथवा प्राधिकरण बोर्ड या अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर आवेदक द्वारा देय होंगे।

योजना में भूखण्डों के निबन्धन के उपरान्त योजना को नगर निगम को हस्तांतरित होने तक अवस्थापना सुविधाओं के रख-रखाव हेतु प्राधिकरण अथवा उ०प्र० शासन द्वारा निर्धारित अनुरक्षण शुल्क+ जी.एस.टी. का भुगतान आवंटी को करना होगा।

नगर निगम को योजना हस्तगत होने के पश्चात भी यदि कोई आवंटी भूखण्ड पर निर्माण नहीं करेगा तो उसे ₹25 प्रति वर्गमीटर वार्षिक की दर से अनुरक्षण शुल्क अलग से देय होगा।

१४. भूखण्ड को बन्धक रखने का प्राविधान:

आवंटी को लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनुमति/अनापत्ति से प्राधिकरण की देय धनराशि जमा करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए भूखण्ड बन्धक रखने का अधिकार होगा।

१६. अन्य सामान्य नियम एवं शर्ते:

भूखण्डों की स्थिति, क्षेत्रफल एवं मूल्य अनन्तिम है। विकास/निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात अंतिम मूल्यांकन किया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रचलित अन्य नियम व शर्तें तथा समय-समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन / परिवर्तन / परिवर्धन लागू एवं मान्य होगें।

किसी भी प्रकार के विवाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।



13. Possession of the Plot:

After the allotment date, upon payment of the plot value and other expenses, registration will be done, and the applicant will be given possession of the plot as per the period prescribed by RERA.

All expenses related to registration/agreement shall be borne by the applicant.

15. Liability of Tax, etc.

All taxes imposed by the Government of India / Government of Uttar Pradesh, Municipal Corporation, Authority Board, or any other department concerning the allotted plot shall be payable by the allotee.

After the registration of plots in the scheme, the allottee shall be required to pay the maintenance charges + GST, as determined by the Authority or the Government of Uttar Pradesh, for the upkeep of infrastructure facilities until the scheme is transferred to the Municipal Corporation.

3. After the scheme is handed over to the municipal corporation, if an allottee does not construct on the allotted plot, they will have to pay a maintenance fee separately at an annual rate of ₹25 per square meter.

14. Provision of mortgaging of the Plot

The applicant shall have the right to mortgage the plot to obtain a loan for depositing the amount payable to the Lucknow Development Authority, with the permission/no-objection of the authority.


16. Other General Terms & Conditions

The location, area, and price of the plots are provisional, after development final costing will be done. After the completion of development/construction work, all other prevailing rules and conditions of the Lucknow Development Authority, as well as any amendments/modifications/revisions made by the authority or the government from time to time, shall be applicable and binding.

The jurisdiction for any disputes shall be Lucknow.









(अनंत नगर योजना)

पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म का प्रारूप

| В | ooklet No | : 31066 |
|---|-----------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |
| ı | | |

| फार्म | हार्म संख्या- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------------------------|--------|-------|------|--------|-------|---|------------|---------------------|---|----------|---------|----------|-----|------|--|--|
| 1. | योजना का | योजना का नाम | | | | | | | | | | अनंत नगर | | | | | | |
| 2. | उपयोजना व | का नाम | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | भुगतान पद्धति | | | | | | | | एकमुश्त किश्तों में | | | | | | | | |
| 4. | भूखण्ड की | श्रेणी | | | | | | | Α | В | | С | D | E | | F | | |
| 5. | आवेदक क | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | पिता/पति व | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | दिक का नाम | | | | | | | (1) | | | | (2) | | | | | |
| 8. | पिता/पति व | का नाम | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | पत्र व्यवहार | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | स्थायी पता | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | पिनकोड | | | | | | | | वैवाहिव | | | विवा | हित | अविवार्ष | हित | | | |
| 12. | आयु | जन्मतिथि | D I |) | M | M | YY | Υ | YY | ′ लिंग | Т | Ч. | म. | | | अन्य | | |
| 13. | श्रेणी | General | SC | | ST | | O.B.C | | C | ther | | | | | | | | |
| 14. | आधार संख | या | | | | | | | | | | | पैन नं. | | | | | |
| 15. | व्यवसाय | | | | | | | | वार्षिक आय | | | | | | | | | |
| 16. | | धनराशि (अंकों में) रु | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | | धन्राशि (शब्दों में) रु | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | - | ग बैंक खाता विवरण | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| | खाताधारक | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | बैंक का ना | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | खाता संख्य | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | स.सी. कोड | _ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | | ारा नामित उत्तराधिक | गरी का | नाम प | एव स | म्बन्ध | | | | | | | | | | | | |
| | नाम | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | पिता का नाम | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3म् <u>र</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | उत्तराधिकारी से सम्ब | | - | | | | | | | _ | | | | _ | | | |
| 20. | | ा मोबाइल नं. | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| 21. | ई-मेल: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

घोषणा

.. "मैं / हम एतद द्वारा यह घोषणा करता / करती हूँ /करते हैं कि मैंने / हमने पंजीकरण संबंधी सभी नियम और शर्तों को पूर्ण रूप से पढ़ व समझ लिया है जो मुझे / हमें मान्य हैं।

उपरोक्त सभी सूचनाएँ मेरी / हमारी जानकारी में सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है । यदि कोई तथ्य अथवा सूचना असत्य या अपूर्ण पाई जाती है, तो प्राधिकरण को पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

यदि मुझे / हमें भूखंड आवंटित नहीं होता है, तो पंजीकरण धनराशि की वापसी अंकित बैंक विवरण में हस्तांतरित कर दी जाए।

| ī | ख | σ | Ī |
|---|----|----|---|
| - | _ | | |
| 1 | टत | Пτ | ħ |

आवेदक / आवेदकों के हस्ताक्षर:

(Anant Magar Voina)

Sami

| (/mane nagar rojna/ | |
|---|--|
| ole Format of Application Form for Registration | |
| (Application Forms will be filled online) | |

Booklet No: 31066

| FOLI | TI NO. | | | | | ` ' ' | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|----------------|-----|--------|-------|-------|---------|------|------|---------------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|------|-------|--------|-------|---|--|
| 1. | Name of Scheme | | | | | | | | | Anant Nagar | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Name of Sub-Scheme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Payment Mode | | | | | | | | | On | e-tin | ne | | | | | | In In | stalln | nents | , | |
| 4. | Category | of the Plot | | | | | | | | Α | | В | | С | | D | | Е | | F | | |
| 5. | Name of A | Applicant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Name of I | Father/Husba | nd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Name of J | oint Applicar | nt | | | | | | | (1) | | | | | | (2) | | | | | | |
| 8. | Name of I | Father/Husba | nd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Postal Ad | dress | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Permaner | nt Address | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Pincode | | | | | | | | | Ma | rital | Statu | ıs | Mai | rried | | Un | marr | ried | | | |
| 12. | Age | Date of Birt | h | | | | \perp | | | | | Gen | der | М | | F | | | of | ther | | |
| 13. | Category | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Aadhar N | 0. | | | | | | | | | | | | | | P. | AN I | No. | | | | |
| 15. | Occupation | on | | | | | | | | Annual Income | | | | | | | | | | | | |
| 16. | | ion Amount (| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ion Amount (| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | | f Applicant's | | k Acc | ount | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Name of A | Account Hold | er | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Name of I | Bank & Branc | h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Account N | 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I.F.S.C Cod | de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Name and | d relation of | the | desig | nate | d su | cces | ssor | by t | he ap | plic | ant | | | | | | | | | | |
| | Name | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Father's Name | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Age | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | rom the Desi | | ted Si | ucces | sor | \perp | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | o. of Applican | ıt | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 21. | E-mail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Announcement

I/We hereby declare that I / we have fully read and understood all the registration terms and conditions which are valid to me/ us.

All the above information is true in my / our information and no facts have been hidden. If any fact or information is found to be false or incomplete, the authority will have the right to cancel the registration/ allotment.

If the plot is not allotted to me / us, the refund amount will be transferred to the bank details mentioned in the application form.

| Place: | Signature of Applicant/Applicants: |
|--------|------------------------------------|
| Date: | |

Booklet No: 31066



शपथ पत्र का प्रारूप

(शपथ पत्र ₹-10/- के जनरल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो ।)

| मैं/हम श्र्र | गी/श्रीमती | | |
|----------------------|------------|-----|-------|
| पुत्र/पुत्री/पत्नी/१ | | आयु | वर्ष, |
| न उ निवासी | | | |

शपथ पूर्वक यह बयान करता/करती हूँ/करते है कि-

मैं / हम भारत का नागरिक हूँ / हैं।

मेरे / हमारे परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चे से हैं) के पास लखनऊ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कॉलोनियों में कोई अपना भूखंड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर व शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों में एक से अधिक भूखंड/भवन नहीं है।


मैं / हम आवंटन की सभी शर्तों का पालन करूँगा / करूँगी / करेंगे यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि मेरा आवंटन निरस्त कर दें और जमा धनराशि जब्त कर लें।

यदि भूमि अर्जन के प्रतिकर के संबंध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित भवन / भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसका निर्धारित नियमों के अनुरुप भुगतान करूँगा / करूँगी।

मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा / करूँगी। यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी एवं उपाध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य व अंतिम होगा। आवंदन पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये हैं वो सत्य हैं।

366 and and an analysis of the second second

मोहान रोड, लखनऊ





सी.सी.एस. एयरपोर्ट/मेट्रो स्टेशन - **10 मिनट**



आगरा एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी - 10 मिनट



देवपुर पारा ग्रुप हाउसिंग - ~10 मिनट



शहीद पथ - 15 मिनट



निकटतम चिकित्सा विश्वविद्यालय - 1 किमी



किसान पथ - 2 किमी




आलमबाग बस स्टैंड - 12 किमी



चारबाग रेलवे स्टेशन - 15 किमी



अनंत नगर योजना Booklet No: 31066



<u>हमारा प्रयास, सबको आवास।</u>

भुगतान संबंधी सेवा प्रदाता बैंक -ICICI बैंक, हजरतगंज, लखनऊ

विनेश सोनधिया - +91 9625667002 अभिनय पटेल - +91 9712942974

ऑनलाइन पंजीकरण हेतु संपर्क सूत्र 1800 1800 5000

सोमवार से शनिवार, सुबह 10 से शाम ६ बजे तक

नोडल अधिकारी:

| श्री विपिन शिवहरे | श्री माधवेश कुमार |
|-------------------|-------------------|
| प्रभारी सम्पत्ति | उप सचिव |
| 9119950303 | 9918005512 |



मूल्य : ११००/-